/

<u>तत्काल जारी करने के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्रेस के सूचनार्थ टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 52/ 2018)

भादूविप्रा ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' का मसौदा जारी करता है

नई दिल्ली, 8 मई, 2018: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सभी हितधारकों से उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए आज ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' का मसौदा जारी किया हैं, जिसके माध्यम से भादूविप्रा द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी किए गए ''दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018'' के विनियम 6, 8 और 9 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2. विनियमों में किये जाने वाले मुख्य संशोधनों का मसौदा निम्नानुसार है :

क) कोई सेवा प्रदाता पीओआई पर अतिरिक्त पोर्ट के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं से अनुरोध कर सकता है, यदि ऐसे पोर्टस् पर अनुमानित क्षमता उपयोग, ऐसा अनुरोध किए जाने की तिथि से **साठ दिनों** के अंत पर **पचासी प्रतिशत से** अधिक होने का अनुमान हो तथा पीओआई पर ऐसी क्षमता के अनुमानित उपयोग, को पिछले **साठ दिनों** के लिए पीओआई पर व्यस्तम घंटों के दौरान दैनिक ट्रैफिक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा: बशर्ते कि सेवा प्रदाता इतनी संख्या में अतिरिक्त पोर्टस् के लिए अनुरोध करेगा जिससे ऐसे पीओआई पर अनुमानित क्षमता उपयोग, ऐसा अनुरोध किए जाने के **साठ दिनों** के अंत पर **पचहत्तर प्रतिशत** से कम हो जाए।

ख) प्रारंभिक अंतर्संयोजन तथा संवर्धन के लिए पोर्ट उपलब्ध कराने के लिए समय अवधि को बढ़ाकर अधिकतम **42 कार्य दिवस** किए जाने का प्रस्ताव है।

ग) प्रत्येक सेवा प्रदाता प्रत्येक पीओआई पर व्यस्त घंटे के लिए 'ऑउटगोईंग ट्रैफिक' के पूर्वानुमान को अंतर्संयोजन करने वाले सेवा प्रदाता को **प्रत्येक छह माह के अंतराल पर** उपलब्ध कराएगा तथा ऐसा प्रथम पूर्वानुमान ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' के लागू होने के साठ दिनों के भीतर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल तथा 01 अक्तूबर को उपलब्ध कराया जाएगा।

देवकुमार
8.5.2018

घ) दिनांक 01 फरवरी, 2018 से पूर्व उपलब्ध कराए गए सभी पोर्टस् के लिए पोर्ट प्रभार और अवसंरचना प्रभार का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2018 से पूर्व उन पर लागू निबंधन और शर्तों के अनुरूप ही किया जाएगा।

3. ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' का मसौदा भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

4. हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ई– मेल आईडी kapilhanda@trai.gov.in पर दिनांक 18 **मई**, 2018 तक उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री एस0 के0 सिंघल, सलाहकार (बीबीएंडपीए) से दूरभाष नम्बर **+91-11-23221509** तथा फैक्स नम्बर **+91-11-23230056** पर संपर्क किया जा सकता है।

देबकुमार 8.5.2018

(देबकुमार चक्रवर्ती)
प्रधान सलाहकार (एनएसएल)(I/C)